W.T.O. (World Trade Organisation)

① विश्व व्यापार संगठन का संठनात्मक ढांचा

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

(i) निर्णय लेने वाली इकाई
(ii) दो वर्षों में एक बार बैठकों का आ।
(iii) सभी सदस्य राष्ट्रों से प्रतिनिधियों निर्मित (27-July 2007 को सदस्यों की संख्या 151 Tonga (151st)

सामान्य परिषद

(i) सभी सदस्य राष्ट्रों से नि के प्रतिनिधियों
(ii) आवश्यकतानुसार बैठकों का आयोजन
(iii) विवाद निवारण के लिए उत्तरदायी
(iv) व्यापार नीतियों के पुनर्निरीक्षण के लिए उत्तरदायी
इसके अधीन तीन परिषदें कार्य करती है
(5) उत्पादों के व्यापार के लिए परिषद
(6) सेवाओं के व्यापार के लिए परिषद
(7) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिए परिषद

② बहुपक्षीय व्यापार समझौते

(i) सभी व्यापार समझौते निम्नांकित चार सिद्धांतों पर आधारित है-
(a) विभेदीकरण का प्रतिषेध
(b) अन्योन्यता (Reciprocity)
(c) बाजार तक पहुंच
(d) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा
इन आधारभूत सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण विभेदीकरण का प्रतिषेध है जिसके तहत सर्वाधिक मित्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया जाता है।

③ W.T.O में सहायिकी

कृषि समझौते के अनु. 1 के तहत सहायिकी को परिभाषित किया गया है जिनमें निम्नांकित तीन आयाम शामिल है

(1) वित्तीय सहायता।

(2) किसी भी रूप में सरकार या P.S. द्वारा दी गई सहायता।

(3) ऐसी कोई भी सहायता जो प्रत्यक्ष लाभ देती हो।

सहायिकी की श्रेणियां

(i) Amber box :-

(i) ~~किसी~~ व्यक्ति समझौते के अनु 6 में उल्लेखित

(ii) ऐसी सभी सहायिकी जो व्यापार को दुष्प्रभावित कर सकती हो लेकिन किसी राष्ट्र को ऐसे किसी दुष्प्रभाव से बचने वाली नीति के आधार पर इसे अनुमति दी जा सकती है।

(2) Blue Box :-

(i) ~~किसी~~ व्यक्ति समझौते के अनु 6 में उल्लेखित

(ii) व्यापार को दुष्प्रभावित करने वाली मुख्यतः निर्यात सहायिकी की श्रेणी

(3) Green Box

~~किसी~~ व्यक्ति समझौते के पूर्व मुख्यतः अनुसंधान, खाद्य सुरक्षा तथा अवसंरचना विकास के लिए की जाने वाली सहायिकी

सेवा व्यापार की प्रणाली

(i) सेवा व्यापार पर के सामान्य समझौते के अनु-1 में चार प्रकार प्रणालियों का वर्णन है

(i) mode one :- किसी एक देश द्वारा किसी अन्य देश अथवा देशों में प्रदान की जाने वाली सीमा पार सेवायें।

(2) mode two :- किसी एक देश द्वारा किसी ~~देश~~ अन्य देश की उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवायें।

(3) mode three :- किसी व्यवसायिक संगठन द्वारा एक देश से अन्य देशों में दी जाने वाली सेवाएं - बैंकिंग

(4) Mode Form :-- किसी अन्य देश व्यक्ति अथवा संस्था को उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं। (132)
परामर्शदात्री सेवायें।

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन :-

(i) सिंगापुर 1996
मुख्य मुद्दे :- (1) श्रम मानकों का निर्धारण
(2) बहुपक्षीय निवेश समझौते की स्वीकृति का प्रस्ताव
(3) प्रतिस्पर्धा नीति का निर्धारण
(4) सरकार द्वारा अधिग्रहण खाद्यानों का अधिग्रहण
(5) इस सम्मेलन में W.T.O तथा I.L.O द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किये जाने का निर्णय किया गया था -
(6) प्रतिस्पर्धा नीति के निर्धारण के लिए विशेष समझौते का प्रावधान।

जेनेवा 1998
मुख्य तथ्य :- (1) विदेशी निवेश तथा व्यापार के लिए विशिष्ट मानको का निर्धारण
प्रतिस्पर्धा नितियों का निर्धारण

सिएटल 1999
मुख्य मुद्दे :- (1) सरकारी खाद्यान्न अधिग्रहण में पारदर्शिता
(2) व्यापार को गति देने वाली नीतियो का निर्धारण
(3) व्यापार और श्रम मानको का संबंध
(4) व्यापार और पर्यावरण का संबंध

दोहा 2000
(1) मुख्यरूप से बौद्धिक सम्पदा अधिकार तथा जन स्वास्थ्य के विषयो पर समझौता
विकासशील राष्ट्रो के लिए बाजारमें पहुंच विषय पर समझौता

निवेश के विषय पर किए गए समझौते में निम्नांकित तीन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान - (133)

कच्चा माल

मशीन तथा यंत्र

प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण

कानकुन 2003

(i) उदारीकरण के कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा

बौद्धिक सम्पदा तथा अधिकार तथा जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा

हांगकांग 2005

कृषि सहायिकी तथा औद्योगिक उत्पादों पर आरोपित प्रशुल्क के कमी के विषयों पर चर्चा, विशेषरूप से अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए सहायता के प्रावधान

प्रशुल्क में कमी के लिए स्विस फार्मूले को स्वीकृति

इस फार्मूले का प्रस्ताव स्विट्जरलैण्ड द्वारा 1973 से 1789 के बीच टोकियो दौर वार्ता के दौरान

$$z = \frac{Ax}{A+x}$$

A = Initial Tariff

x = Coefficient

z = Resulting Tariff

W.T.O वार्ताओं की विफलता

हांगकांग सम्मेलन में यह तय किया गया था कि 30 April 2006 तक की जाने वाली वार्ताओं के आधार पर ही स्विस फार्मूले को लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय 2006 में जेनेवा हुई वार्ता के दौरान अमेरिका तथा

यूरोपीय संघ द्वारा क्रमशः कृषि तथा निर्यात सहायिकी के रूप में घरेलू समर्थन कम नहीं करने तथा भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों द्वारा औद्योगिक उत्पादों पर प्रशुल्क कम नहीं करने के विषय पर विवाद हो गया था, जिसके फलस्वरूप दोहा दौर की वार्ता विफल हो गयी थी।

इन्हें पुनः आरंभ करने के लिए 19 जून 2007 को जर्मनी के पोट्सडम में समूह-4 (G-4) की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत तथा ब्राजील शामिल थे। भारत तथा ब्राजील का विरोध निम्नांकित दो तथ्यों पर था-

(1) औद्योगिक उत्पादों के प्रशुल्क में कमी का दबाव

(2) अमेरिका द्वारा कृषि सहायिकी तथा यूरोपीय संघ द्वारा निर्यात सहायिकी को कम नहीं करने का विचार

इसके अतिरिक्त स्विस फार्मूले में गुणांक के निर्धारण पर भी विवाद उत्पन्न हो गया था।